

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना/
शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर/
केन्द्रीय कारा बक्सर/शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा भागलपुर/
केन्द्रीय कारा गया/विशेष केन्द्रीय कारा भागलपुर/
केन्द्रीय कारा मोतिहारी/केन्द्रीय कारा पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक -11 अप्रैल, 2017

विषय:- मुख्य शीर्ष-2056 जेल, उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0001 केन्द्रीय जेल के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹25,73,00,000 (पच्चीस करोड़ तीहत्तर लाख रुपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड-22-2056001010001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब15/बी0एस0जी0-19/2017-428/वि0 दिनांक 31.03.17 एवं पत्रांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार प्रत्येक केन्द्रीय कारा के सामने अंकित राशि का आवंटन विभिन्न आकस्मिक मदों में स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष-2056 जेल, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0001 केन्द्रीय जेल (विपत्र कोड-22-2056001010001) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंधित राशि के अन्तर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष- 2056 जेल, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0001 केन्द्रीय जेल के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विवरणी में उल्लिखित मदों की कूट संख्या, मांग संख्या-22 एवं विपत्र कोड-22-2056001010001 का उल्लेख विपत्रों पर अवश्य करें अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

7. वर्तमान आवंटन कारा निरीक्षणालय में प्राप्त/अद्यतन संधारित बंदी संख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं कय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

अनिर्देशा हुप्पार मो. जम्बालुद्दीन अख्तरी, राय गरी अय

8. सामग्री एवं पूर्तियाँ /आहार/पथ्य मद में आवंटित की जाने वाली राशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम जिन कारा निर्माणशालाओं से सामग्रियों /खाद्य पदार्थों का उठाव किया गया है उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माणशाला में उत्पादित सामग्री /खाद्य पदार्थों का क्रय किसी भी परिस्थिति में बाजार /आपूरक/अन्य एजेंसी से नहीं किया जाएगा।

9. कारा निर्माणशाला से निर्गत होने वाले सामग्रियों का क्रय उक्त कारा से ही किया जाएगा अथवा किया गया है और किसी अन्य श्रोत से उनका क्रय नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर अंकित करेंगे। साथ ही काराधीक्षक विभागीय पत्रांक-1395 दिनांक-03.03.2015 एवं 3804 दिनांक-26.06.2008 के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

10. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

11. मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ यथा पूर्व निदेशित, ससमय अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

अनिपेक्षा कुमार मो. जमालुद्दीन अंशारी. २१५ ग. नि. नि.

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(के0)01-03/16-08

पटना, दिनांक - 11 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनिपेक्षा कुमार मो. जमालुद्दीन अंशारी. २१५ ग. नि. नि.

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(के0)01-03/16-08

पटना, दिनांक - 11 - अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/मुजफ्फरपुर/बक्सर/भागलपुर/गया/मोतिहारी/पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनिपेक्षा कुमार मो. जमालुद्दीन अंशारी. २१५ ग. नि. नि.

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(के0)01-03/16-08

पटना, दिनांक - 11 - अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनिपेक्षा कुमार मो. जमालुद्दीन अंशारी. २१५ ग. नि. नि.

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।